अध्याय- 28

शिल्पकार प्रशिक्षण

28.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) ने देश में प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास के लिए कुशल जनशक्ति पूर्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ०प्र०सं०) की स्थापना कर 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरम्भ की। वर्ष 1980 में दक्षिणी राज्यों अधिकांशत: केरल, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में अनेक नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए जहाँ से प्रशिक्षित शिल्पकारों को मुख्यत: खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त हुआ। 1980 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 831 थी तथा 1987 में यह बढ़कर 1887 हो गई । 1990 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा इस समय 7.42 लाख सीटों की क्षमता वाले 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (1896 सरकारी क्षेत्र में तथा 3218 निजी क्षेत्र में) हैं। अनुबंध 28.1 पिछले लगभग चार दशकों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा उनके विकास को दर्शाती है। 01 अक्तूबर 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सीट क्षमता में तुलनात्मक वितरण अनुबंध 28.2 में दर्शाया गया है।

28.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजनाओं का विकास करना, नीति तैयार करना, प्रशिक्षण मानकों, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, व्यवसाय परीक्षाओं का आयोजन करना, प्रमाणीकरण, इत्यादि केन्द्र सरकार का दायित्व है जबकि प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व अधिकाशत: राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का है।

28.3 केन्द्र सरकार को, नियोक्ताओं, कामगारों तथा केन्द्र/राज्य सरकारों, प्रशिक्षण विशेषज्ञों, विज्ञ निकायों, महिला संगठन तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों वाले एक त्रिपक्षीय निकाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा परामर्श दिया जाता है। इसी प्रकार की परिषदें जिन्हें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी) के नाम से जाना जाता है, राज्य स्तरों पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसी उद्देश्य हेतु गठित की जाती हैं।

योजना का उद्देश्य :

- औद्योगिक/सेवा क्षेत्रों में अर्ध-कुशल कामगारों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सम्भावित कामगारों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि करना।
- शिक्षित युवाओं को उपयुक्त रोजगार हेतु आवश्यक कौशलों से लैस कर उनकी बेरोजगारी को दूर करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:-

- योजना के अंतर्गत देशभर में व्याप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से 98 व्यवसायों (तालिका 28.3) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- विभिन्न व्यवसायों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 3 वर्षों की है तथा प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास से 12वीं कक्षा पास है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 14 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला विंगों में उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में वर्ष में दो बार अर्थात् अगस्त एवं फरवरी माह में प्रवेश दिया जाता है।
- प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नियत किया गया है जबकि शेष समय व्यवसाय